झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–42 / 2020

के साथ

बी0 ए0 संख्या–11582 / 2019

1. चंद्रदेव सिंह
2. बलबीर सिंह .... बी0ए0 सं0–42 वर्ष 2020 में याचिकाकर्त्तागण

1. ओमप्रकाश राय
2. बिंदीया कुमारी .... बी0ए0 सं0–11582 वर्ष 2019 में याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननोय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्तागण के लिए: श्री जितेन्द्र एस0 सिंह, अधिवक्ता।

राज्य के लिए : श्रीमती लिली सहाय, ए0पी0पी0।

राज्य के लिए: श्री सूरजदेव मुण्डा, ए0पी0पी0।

सूचक के लिए: श्री ललित कुमार सिंह, अधिवक्ता

3 / 28.01.2020 पक्षों को सुना।

याचिकाकर्त्तागण लातेहार थाना काण्ड संख्या 133 वर्ष 2019, जी0आर0 वाद संख्या–575 वर्ष 2019 के संबंध में आरोपी है।

सूचक के बेटे को आरोपी व्यक्तियों द्वारा अपहरण किये जाने का संदेह था।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदीप सिंह और गौतम सिंह ने कबूल किया था, जो केस डायरी के पैराग्राफ 25 और 34 में जगह पाता है और उनके इशारा करने पर अपहरण किए गए व्यक्तियों का शव बरामद किया गया था। जहाँ तक याचिकाकर्त्ता–ओम प्रकाश राय का सवाल है, उनका इकबालिया बयान केस डायरी के पैरा 73 में दर्ज किया गया है और उनके कबूलनामे पर, अपराध को कारित करने में इस्तेमाल की गई मोटरसाईकिल बरामद की गई थी। यह ज्ञात नहीं है कि जाँच अधिकारी इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचे हैं कि अपराध के कारित करने में उक्त मोटरसाईकिल का उपयोग किया गया है। सह–अभियुक्त प्रदीप सिंह की जमानत के लिए प्रार्थना को खारिज कर दिया गया है, लेकिन इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रदीप सिंह और वर्तमान याचिकाकर्त्ता के मामले अलग–अलग पृष्ठभूमि की है क्योंकि इस तरह के अपराध को करने में सभी याचिकाकर्त्ताओं के खिलाफ केवल संदेह पैदा किया गया है।

उपरोक्त नामित याचिकाकर्त्ताओं को 10,000/– रू0 (दस हजार रूपये) के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, लातेहार की संतुष्टि पर, लातेहार थाना काण्ड संख्या 133 वर्ष 2019, जी0आर0 वाद संख्या 575 वर्ष 2019 में जमानत पर छोड़ने का निर्देश दिया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)